

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16 / 138 / 2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025 / 141

प्रवेश तिथि  
21.04.2025

निर्णय दिनांक  
17.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. हरसहाय पुत्र रेवडा जाति मीणा निवासी चांदोली तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14  
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—निर्णय:-

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम चांदोली, तहसील अलवर, जिला अलवर की आराजी खसरा न० 2548 रकबा 1.01 है० किस्म बारानी-2 भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 वाके ग्राम चांदोली तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का चांदोली की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा-काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नंबर 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदोली तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी खसरा नंबर 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 वाके ग्राम चांदोली मौके पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। आराजी ख.नं. 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदोली गैर खातेदार अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का चांदोली की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम चांदोली के आराजी ख०नं० 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर पर वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं है व गैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

खातेदार (अप्रार्थी) का कोई कब्जा नहीं है तथा मौके पर गैर खातेदार (अप्रार्थी) मौजूद नहीं मिले। दीगर व्यक्ति का कब्जा बताया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का चांदोली से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 2548 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम चांदोली तहसील अलवर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)